कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 25-03-2015 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त

सायं 03.30 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

दिनांक : 9-04-2015

पत्र संख्याः डी/08/सचिव (न.नि.)/15–16

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/..,

पार्षद वार्ड सं0........./सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.03.2015 दिन बुद्धवार को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 31 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (आर/वी) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–25.03.2015 दिन बुद्धवार को अपरान्ह 03:30 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	महापौर / सभापति
2.	श्री हाजी सुहैल अहमद	उप सभापति / सदस्य
3.	श्री कमलेश त्रिवेदी	पार्षद / सदस्य
4.	श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य
5.	श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
6.	श्री मदन लाल	पार्षद / सदस्य
7.	श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
8.	श्री आदर्श दीक्षित	पार्षद / सदस्य
9.	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
10.	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
11.	श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
12.	श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
13.	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त
2.	श्री अजय प्रताप सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
3.	श्री गंगा प्रसाद चौधरी	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
4.	श्री पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
5.	श्री विनोद कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
6.	श्री राकेश कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
7.	श्री तरूण कुमार शर्मा	मुख्य अभियंता "सिविल"
8.	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियंता "वि0 / यॉ0"
9.	श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक, जलकल
10.	श्री राघवेन्द्र कुमार	सचिव, जलकल
11.	डा0 ए. के. सिंह	पशु चिकित्साधिकारी

ह0.....महापौर

अपरान्ह 03:30 बजे बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

सभापति ने नगर आयुक्त से कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही संचालित करने के निर्देश दिये।

श्री हाजी सुहैल अहमद उपसभापति ने कहा कि सभापति महोदय आपके निर्देशानुसार आज सर्वप्रथम पूर्व में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठकों के निर्णयों की अनुपालन की समीक्षा होनी चाहिये, तत्पश्चात् कार्यसूची पर विचार किया जाये।

सभापति ने सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि इसका मतलब है कि अधिकारियों ने मेरे निर्देशों को गम्भीरता से नही लिया है। इस पर मुख्य अभियन्ता ने पूर्व में सम्पन्न हुई दिनांक–30.08.2014 एवं 12.01.2015 में कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया :–

प्रस्ताव सं0	पारित निर्णय	वॉछित अनुपालन आख्या
721	वार्ड–88 कर्रही बर्रा विश्व बैंक के–1 ब्लाक का नामकरण मनीष कटियार के नाम से किया जाना।	नामकरण समिति को परीक्षण हेतु प्रेषित।
726	जी0आई0एस0 सर्वे के पश्चात काफी मकान नम्बर इधर–उधर हो गये हैं। अतः गली में मकान नम्बरों के संकेतक लगाये जाने सम्बन्धित।	नगर आयुक्त के निर्देशानुसार कार्यवाही करायी जायेगी।
729	विकास कार्यो में गुणवत्ता बनाये रखना।	पूर्व से ही नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
730	नगर निगम द्वारा निर्मित रैन बसेरों में अनैतिक कार्यों को रोकने हेतु नियम बनाया जाना।	ऐसा कोई संज्ञान नहीं है।
731	नगर निगम गेस्ट हाउस के पीछे नगर निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जर्जर आवासों को तोडकर बहुखण्डीय बनाया जाना।	निवास कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के विस्थापन पर विचार–विमर्श के उपरान्त नगर आयुक्त के निर्देशानुसार वास्तुविदों/कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति हेतु दिनांक 25.03.2015 को ऑफर आमंत्रित किया गया है।
742	इन्दिरा नगर आदेश पार्क में पूर्व प्रधानमन्त्री स्व0 इन्दिरा गॉधी जी की मूर्ति लगाया जाना।	मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पार्क में मूर्ति लगाया जाना प्रतिबन्धित है।
754	जोन–6 चिडियाघर तिराहे से गंगा बैराज तक मार्ग का नामकरण स्व0 मदन मोहन मालवीय के नाम पर किया जाना।	विभागीय कार्यवाही करायी जा रही है।
755	जोन–6 09 नं0 गुमटी से नमक फैक्ट्री चौराहे तक मार्ग का नामकरण पूर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाना।	विभागीय कार्यवाही करायी जा रही है।
757	जोन–4 अशोक नगर डाकखाना मार्ग का नामकरण रामअवतार तिवारी के नाम पर किया जाना।	विभागीय कार्यवाही करायी जा रही है।
764	सी0यू0जी0एल0 द्वारा अमर जवान चौराहे पर अमर जवान ज्योति की स्थापना एवं चौराहे को सुन्दरीकरण हेतु गोद लेना।	विभागीय कार्यवाही करायी जा रही है।
558	नगर निगम सीवेज फार्म क्षेत्र में सी0एल0आर0आई0 के पास जाजमऊ में आधुनिक वधशाला का निर्माण कराना।	सम्बन्धित पर कार्ययोजना तैयार कर तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है।

ह0.....महापौर

638	वार्ड–58 बसन्त विहार में पुरानी बस्ती नौबस्ता गॉव में ग्राम समाज की भूमि पर वार्ड कार्यालय निर्माण कराया जाना।	ग्राम समाज की भूमि का स्वामित्व कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित है।
639	वार्ड–05 चुन्नीगंज में संत करोडीमल/श्री कैलाश नाथ खटिक पार्क में धर्मशाला बनवाया जाना।	मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पार्क में किसी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित है।
640	चुन्नीगंज पुलिस चौकी के बगल में नगर निगम की रिक्त भूमि पर दुकाने बनाया जाना।	नगर निगम की रिक्त पड़ी भूमि में आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य प्रकार के निर्माण हेतु वास्तुविदों/कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति हेतु दिनांक 25.03.2015 को ऑफर आमंत्रित किया गया है।
643	सीसामऊ बाजार, जहॉ पर अवैध रूप से पक्की दुकाने बनी हैं उनकों मुक्त कराते हुये दुकान बनवाकर आवंटित करना।	तदैव।
646	चुगी भवनों के अवैध कब्जों को हटाते हुये दुकानें बनाया जाना।	तदैव।
648	प्रेम नगर में नगर निगम मार्केट के ऊपर हाल/बरामदा बनाया जाना।	तदैव।
649	बजरिया नगर निगम मार्केट को पी0पी0पी0 आधार पर उच्चीकृत करना।	तदैव।
650	ब्रजभूषण प्रा0 स्कूल के पीछे रिक्त पडी भूमि पर वृद्धाश्रम बनवाना।	तदैव।
652	वार्ड–62 में स्व0 चौ0 रामगोपाल चौराहे के पास दुकाने बनवाना।	तदैव।
653	वार्ड–72 जच्चा–बच्चा अस्पतालज के आगे व पीछे पडी रिक्त नगर निगम भूमि पर दुकाने बनवाना।	तदैव।
665	कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन सडकों में मेनहोल ढ़क्कनों को ढूँढ़ने हेतु मैग्नेटिक मशीन खरीदना।	नगर आयुक्त के निर्देशानुसार कार्यवाही करायी जायेगी।
647	कारगिल पार्क का सुन्दरीकरण कराना।	कार्ययोजना तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को प्रेषित कर दी गयी है।

तत्पश्चात् नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अपर नगर आयुक्त द्वारा कार्यसूची में अंकित प्रस्तावों को बिन्दुवार समिति के समक्ष सूचनार्थ/निर्णयार्थ पढ़े गये।

प्रस्ताव संख्या–929 मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 26.02.2015 के द्वारा विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावाली 2014 की दरो में पूर्नरीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 03.03.2015 की कार्यवृत्तिः–

उपस्थिति–

श्री हाजी सुहैल अहमद उपसभापति मा0 कार्यकारिणी

श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी सदस्य मा0 कार्यकारिणी

श्री आदर्श दीक्षित सदस्य मा0 कार्यकारिणी

ह0.....महापौर

श्री विनोद कुमार गुप्ता, अपर नगर आयुक्त,
श्री राजीव शुक्ला, प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन)

मा0 समिति द्वारा वैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली 2014 के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अनुसूची–2 व नियम–26 में निर्धारित दरे के सम्बन्ध में विचार विमर्श किये जाने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निगम द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि,दीवाल और भवन,सार्वजनिक स्थ्लो पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिये प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष श्रेणी वार निर्धारित दर में निम्नानुसार संशोधित किया जाय।

निर्धारित दरे	संशोधित दरे
प्रवर श्रेणी :रू0–2000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'अ''श्रेणी रू0 1500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'ब''श्रेणी रू0 1200/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'स''श्रेणी रू0 1000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'द''श्रेणी रू0 800/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष	प्रवर श्रेणी:रू02500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष अ''श्रेणी रू01700/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष ब''श्रेणीरू0 1400/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष स''श्रेणीरू0 1200/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'द''श्रेणी रू0 1000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
इसी प्रकार कमांक 5 पर यूनीपोल (एकल स्तम्भ) के लिये निर्धारित दर में श्रेणीवार निम्नानुसार संशोधित किया जाय।	
निर्धारित दरे	संशोधित दरे
प्रवर श्रेणी :रू0–3000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'अ''श्रेणी रू0 2500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'ब''श्रेणी रू0 2000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'स''श्रेणी रू0 1500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'द''श्रेणी रू0 1200/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष	प्रवर श्रेणी:रू0 4000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष अ''श्रेणी रू0 2800/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष ब''श्रेणीरू0 2300/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष स''श्रेणीरू0 1800/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'द''श्रेणी रू0 1500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

शेष दरो को उचित बताते हुये उनमें संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अवैध विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के उद्‌देश्य से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विज्ञापन पट पर विज्ञापन एजेन्सी अपनी ओर से विज्ञापन पट की स्वीकृति संख्या व अवधि का उल्लेख करेगा तथा इसके साथ ही नगर निगम द्वारा हर पोल पर अपना टैग भी लगायेगा।

- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विज्ञापन विभाग के दायित्वों का निर्वाहन जोनल स्तर पर किया जाय।

ह0.....महापौर

- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि नियमावली में स्थल चयन हेतु जो समिति बनायी गयी है उस समिति में क्षेत्रीय पार्षद को सदस्य के रूप में शामिल किया जाय तथा जो क्षेत्र दो पार्षदो की परिधि में हो उन स्थलो के लिये दोनो क्षेत्र के पार्षदो को सदस्य के रूप मे सम्मिलित किया जाय।
- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि डिवाइडर हाईटेशन लाइन के नीचे,पार्क ग्रीनवेल्ट पर बैनर,क्यास्क,यूनीपोल,होर्डिंग्स को निर्बन्धित किया जाय।
- समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि जिन विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये है उन वादो के निस्तारण की कार्यवाही की जाय तथा उन विज्ञापन एजेन्सियों के विज्ञापन पटो की फोटोग्राफी कराकर यथास्थिति रखी जाय यदि विज्ञापन पट पर कोई परिवर्तन किया जाय तो मा0 न्यायालय की अवमानना का वाद दाखिल किया जाय।
- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि चूँकि विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली 2014 प्रभावी होने जा रही है अतः नियमावली प्रभावी होने से पूर्व शहर को अवैध विज्ञापन पटो से मुक्त कर दिया जाय जिसके लिये 08 अप्रैल 2015 से 30 अप्रैल तक युद्ध स्तर पर अवैध विज्ञापन पट हटाने का अभियान चलाया जाय । विज्ञापन हटाने के लिये नगर निगम स्तर पर एक क्रेन,दो गैस कटर,एक जे0सी0बी0 की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- समिति द्वारा सुझाव दिया गया जो अभियान चलाया जाय उसमें दिशा सूचक व जिन एजेन्सियों के साथ अनुवन्ध है उनको इससे मुक्त रखा जाय,तथा अभियान चलाने की सूचना दो समाचार पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला में प्रकाशित कराया जाय।
- समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक विज्ञापन पट पर उसमें नगर निगम के स्लोगन अवश्य लगाये जाये।
- समिति द्वारा दिनांक 26.02.2015 को कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय कि मोतीझील परिसर को विज्ञापन से मुक्त रखा जाय पर पुनः विचार किये जाने का अनुरोध किया गया कि मोतीझील परिसर में नगर निगम द्वारा लान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आवंटित किये जाते है तथा वर्ष में दो तीन वार सिख समुदाय व अन्य सामाजिक/राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित होते है जिसमें आवंटी द्वारा विज्ञापन किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुये जिस अवधि के लिये नगर निगम द्वारा जिस कार्यक्रम के लिये लान आवंटित किया जाय उस अवधि के लिये आवंटी को विज्ञापन निषिद्ध से मुक्त रखा जाये ।
- समिति द्वारा विज्ञापन पटो के आवंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि श्रेणी वार व स्थल वार स्थिति के अनुसार नियमावली में प्रस्तावित आंवटन समिति द्वारा नीतिगत निर्णयनुसार किया जायेगा।
- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विज्ञापन एजेन्सियों को विज्ञापन पटो का आवंटन प्रक्रिया किस प्रकार होगी के लिये अपर नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाय कि नयी नियमावली में आवंटन प्रक्रिया प्रस्तुत करें । इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कार्यकारिणी में निहित रहेगा।
- समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि यदि नयी नियमावली 2014 में आवंटन प्रक्रिया में राजस्व की क्षति होती है तो पूर्व नियमावली ही आवंटन के लिये लागू रहेगी।

ह0.....महापौर

विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली 2014 के सम्बन्ध में समिति द्वारा उपरोक्त सुझाव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित हैः–

श्री आदर्श दीक्षित ने कहा कि काकादेव एवं जाजमऊ में कोचिंग मण्डियों के प्रचार हेतु अवैध विज्ञापन पट लगे हुये है, उन्हें जुर्माना वसूलते हुये हटाया जाये।

सभापति ने कहा कि सदस्यों की भावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न क्षेत्रों में यूनीपोल लगाये जाने हेतु विशेष सतर्कता बरती जाये। जहाँ से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है तथा डिवाइडर के ऊपर जहाँ दुर्घटनाकारक प्रतीत हों, वहाँ पर दुर्घटना से बचाव हेतु यूनीपोल न लगाये जाये।

नगर आयुक्त ने सभापति को आश्वस्त किया कि आपके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

.... स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–930 नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी /680/न0अ0/अ0अ0–1 /2014–15 दि0 21.02.15 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(5) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष **स्वीकृतार्थ** प्रस्तुत।

प्रस्ताव

विषय :– जोन–1 वार्ड 109 के अन्तर्गत गिरधर मेडिकल स्टोर से गुढ़मण्डी 73/23 तक सड़क का सुधार कार्य।

उपरोक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम स्तर से दिनांक 05.11.14 को धनांक रू0 19,56,823.00 की प्राप्त हो चुकी है, जिसके क्रम में कार्य की निविदायें दिनांक 12.01.15 को आमंत्रित की गई थी। उपरोक्त कार्य की पूर्व में दिनांक 24.11.14 को निविदा आमंत्रित की गई जिसमें प्रथम बार दो निविदायें प्राप्त हुई पुनः दिनांक 12.01.15 को दूसरी बार निविदायें आमंत्रित की गई जिसमें तीन निविदा प्राप्त हुई, प्राप्त वैघ निविदा में से सर्वन्यून निविदादाता मै0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज की निविदा आगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 16,63,300.00 की प्राप्त हुई है। दरें उचित एवं कार्यहित में स्वीकृत योग्य है।

अतः न्यूनतम निविदादाता मै0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज की निविदा आगणन से 15.00 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 16,63,300.00 की स्वीकृति योग्य है। कार्य की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष नगर निगम अधिनियम की धारा 132 (5) के अन्तर्गत निविदा स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–931 नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी / 443/ अ0अभि0(याता0)/2014–15 दि0.02.03.15 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(5)के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

जोन –1 वार्ड –59 सिविल लाइन अतंर्गत वी0आई0पी मार्ग से सम्बद्ध विभिन्न नवीन बिटुमिनस लेपित मार्गो पर यातायात सुधार सम्बन्धी कार्य के आगणन धनांक रु 7,81,432.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 12.09.2014 को दी गई जिसके उपरान्त दिनांक 12.12.2014 को निविदाये मांगी गयी जिसमे मात्र 06 निविदाये प्राप्त हुई जिसमे सर्व निम्न निविदा दाता मे0 अभिषेक इन्टरप्राइजेज की निविदा आगणन से 15% निम्न पर प्राप्त हुई है जिसका धनांक रु 6,64,217.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 18.02.2015 को नगर आयुक्त महोदय द्वारा दी गई है। जो कि मान्नीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

.... पढ़ा गया।

ह0.....महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–932</u> नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी /444/ अ0अभि0(याता0)/2014–15 दि0 02.03.15 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(5) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

कानपुर शहर के मार्गो पर यातायात सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत एल0डी0एस0 पैनल की आपूर्ति एंव स्थापना का कार्य के आगणन धनांक रु 8,33,755.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 12.09.2014 को दी गई जिसके उपरान्त दिनांक 12.12.2014 को निविदाये मांगी गयी जिसमे मात्र 04 निविदाये प्राप्त हुई जिसमे सर्व निम्न निविदा दाता मे0 गगन कान्स0 कं0 की निविदा आगणन से 15% निम्न पर प्राप्त हुई है जिसका धनांक रु 7,08,692.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 18.02.2015 को नगर आयुक्त महोदय द्वारा दी गई है। जो कि मान्नीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

.... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–933</u> नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी /445/ अ0अभि0(याता0)/2014–15 दि0 02.03.15 के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(5) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

कानपुर नगर के विभिन्न मार्गों के किनारे डिवाइडर एंव रेाटरी आदि स्थलो पर डेलिनेटर लगाने का कार्य।के आगणन धनांक रु 8,33,250.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 12.09.2014 को दी गई जिसके उपरान्त दिनांक 12.12.2014 को निविदाये मांगी गयी जिसमे मात्र 03 निविदाये प्राप्त हुई जिसमे सर्व निम्न निविदा दाता मे0 पुष्पेन्द्र कुमार द्विवेदी की निविदा आगणन से 15% निम्न पर प्राप्त हुई है जिसका धनांक रु 7,08,263.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 18.02.2015 को नगर आयुक्त महोदय द्वारा दी गई है। जो कि मान्नीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

.... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–934</u> नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी /446/ अ0अभि0(याता0)/2014–15 दि0 02.03.15के अन्तर्गत नगर निगम की धारा 132(5) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

जोन –4 अतंर्गत चुन्नीगंज बजरिया चौराहे से जी0टी0 रोड (गुमटी गुरुद्वारा) 80 फिट मार्ग के नवीन लेपन कार्य पर यातायात सुधार सम्बन्धी कार्य के आगणन धनांक रु 9,27,145.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 12.09.2014 को दी गई जिसके उपरान्त दिनांक 12.12.2014 को निविदाये मांगी गयी जिसमे मात्र 05 निविदाये प्राप्त हुई जिसमे सर्व निम्न निविदा दाता मे0 अभिषेक इन्टरप्राइजेज की निविदा आगणन से 15% निम्न पर प्राप्त हुई है जिसका धनांक रु 7,88,073.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 18.02.2015 को नगर आयुक्त महोदय द्वारा दी गई है। जो कि मान्नीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

.... पढ़ा गया।

ह0.....महापौर

अभियन्त्रण खण्ड जोन–6 (स्वीकृतार्थ) दिनांक

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	दर	निविदा धनांक	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
935	जोन–6 वार्ड–20 नारामऊ के अन्तर्गत ग्राम खेडा में पीयुष शुक्ला के घर से भागीरथ के घर होते हुये बिठूर रोड तक सडक नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1258551.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1069768.00	मे0 अशोक कुमार परासर	स्वीकृत
936	जोन–6 वार्ड–20 नारामऊ अन्तर्गत इन्दिरा नगर में एस0बी0आई0 रोड से आनन्दराव मठ रोड लोहिया पार्क से एम–79 एवं धीरज मार्केट रोड का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1441584.00	आगणन दर से 0.25 प्रतिशत उच्च	1445188.00	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
937	जोन–6 वार्ड–45 नवाबंगंज अन्तर्गत दीनदयाल नगर में जुगल देवी स्कूल से म0न0–31 एवं म0न0–79 से म0न0–86 तक सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	996926.00	आगणन दर से 9.99 प्रतिशत उच्च	1096519.00	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0लि0	स्वीकृत
938	जोन–6 वार्ड–45 नवाबगंज अन्तर्गत दीनदयाल नगर की आन्तरिक सडको का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	996926.00	आगणन दर से 9.99 प्रतिशत उच्च	1118486.00	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0लि0	स्वीकृत
939	जोन–6 वार्ड–87 काकादेव के अन्तर्गत शिवपुरी मलिन बस्ती में त्रिवेदी इलेकट्रानिक से कटियार पी0सी0ओ0 तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1447464.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1230344.00	मे0 ओम साई कॉन्स0 कं0	स्वीकृत
940	जोन–6 वार्ड–27 शास्त्री नगर के अन्तर्गत घनश्याम होटल से नन्दलाल आटा चक्की चौराहा तक सडक का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1318680.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1120878.00	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
941	जोन–6 वार्ड–27 शास्त्री नगर के अन्तर्गत पुलिस चौकी चौराहे से ज्ञान निकेतन स्कूल के पास चौराहे तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1224213.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1040581.00	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
942	जोन–6 वार्ड–27 शास्त्री नगर के अन्तर्गत एक्सिस बैंक चौराहा से चार खम्भा चौराहा फुजलगंज रोड तक रोड का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1122965.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	954520.00	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
943	जोन–6 वार्ड–18 कल्यानपुर के अन्तर्गत डा0 शाशिभाल के मकान से एस0सी0 कटियार के मकान तक हाटमिक्स प्लाट द्वारा सडक एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1495755.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1271392.00	मे0 विनय कुमार कटियार	स्वीकृत
944	जोन–6 वार्ड–18 कल्यानपुर के अन्तर्गत के मकान से	राज्य वित्त आयोग	1436506.00	आगणन दर से 15.00	1221030.00	मे0 पी0के0	स्वीकृत

ह0.....महापौर

	जगत नारायण कटियार के मकान तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।			प्रतिशत निम्न		इण्टरप्राइजेज	
945	जोन–6 वार्ड– 45 अन्तर्गत म0न0–114(ए) से सत्यसाई गैस एजेन्सी तक सडक एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1498665.00	आगणन दर से 5.90 प्रतिशत निम्न	1410244.00	मे0 डी0एल0 जी0 इण्टरप्राइजेज प्रा0लि0	स्वीकृत

मार्ग प्रकाश

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	फर्म का नाम	निर्णय
946	जोन–6 के अन्तर्गत वार्ड–27 सरोजनी नगर स्थित सुभाष चौक चौराहा मरियमपुर से विजय नगर चौराहा सब्जी मण्डी तक 02 नग टावर पोल एवं 55 नग एस0टी0 पोल लगाने, केबिल डालने इत्यादि का कार्य।	4103301	1,497,070.51	मे0 वी0डी0 इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
947	नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रो मे समय–समय पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 200 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	626,168.00	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया/स्वीकृत
948	नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रो मे समय–समय पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 200 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	626,168.00	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया/स्वीकृत
949	फेसबुक, तहसील दिवस, कन्ट्रोल रूम, जनसूचना, नागरिक सुविधा दिवस, डी0एम0 सन्दर्भ आदि के तत्काल निस्तारण कराये जाने हेतु 200 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	626,168.00	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया/स्वीकृत
950	नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रो मे समय–समय पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 200 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	626,168.00	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया/स्वीकृत
951	नवरात्रि, दशहरा एवं बकरीद इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–2, 3 एवं 5 हेतु 1133 नग सोडियम चोक 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	999,306.00	मे0 रिवान्शू सेल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
952	नवरात्रि, दशहरा एवं बकरीद इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–1, 4 एवं 6 हेतु 1131 नग सोडियम चोक 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	997,542.00	मे0 रिवान्शू सेल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत

ह0.....महापौर

953	जोन–2 के अन्तर्गत वार्ड–10 चकेरी स्थित मवईया विलेज नियर कानपुर पब्लिक स्कूल मे 35 नग एस0टी0 पोल लगाने, केबिल डालने, सिवच लगाने इत्यादि का कार्य।	4103301	855,667.38	मे0 निर्मल इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
954	जोन–3 के अन्तर्गत वार्ड–36 बिनगवॉ स्थित टीकापुर गरीब बस्ती मे 36 नग नये पोल लगाने, केबिल डालने इत्यादि का कार्य।	4103301	551,616.20	मे0 जे0आर0 एण्ड सन्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
955	वित्तीय वर्ष 2013–14 मे जोन–2, 3 एवं 5 के अन्तर्गत विभिन्न स्थलो पर 287 नग लगाये गये पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 287 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 287 नग सोडियम लैम्प 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	971,208.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
956	जोन–1 के अन्तर्गत वार्ड–97 स्थित नानाराव पार्क एवं नानाराव तरण ताल मे 36 नग विद्युत पोल मय अण्डरग्राउण्ड केबिल आदि लगाने का कार्य।	4103301	1,107,616.22	मे0 वी0डी0 इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
957	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–2, 3 एवं 5 हेतु 820 क्वॉयल 4 एम0एम0 ट्विन एल्यूमिनियम दौड़ का तार क्रय हेतु।	2305002	654,360.00	मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
958	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–1, 4 एवं 6 हेतु 700 क्वॉयल 4 एम0एम0 ट्विन एल्यूमिनियम दौड़ का तार क्रय हेतु।	2305002	558,600.00	मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
959	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–1, 4 एवं 6 हेतु 590 क्वॉयल 6 एम0एम0 ट्विन एल्यूमिनियम दौड़ का तार क्रय हेतु।	2305002	695,020.00	मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
960	कारगिल पार्क मे इलेक्ट्रिकमेशन पैनल नगाये जाने के अन्तर्गत सिस्टम कन्ट्रोलस, तार, केबिल एण्ड बाक्स, लग्स एवं ग्लैण्ड इत्यादि क्रय एवं स्थापना का कार्य।	2305902	577,733.52	मे0 वी0डी0 इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
961	01 अप्रैल 2014 सें अब तक जोन–3 के अन्तर्गत लगाये गये पोलो एवं टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 12 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट एवं 177 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	782,364.15	मे0 दादा नगर इले0, मे0 हैलोनिक्स टेक्नो0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0 मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया/स्वीकृत

ह0.....महापौर

962	01 अप्रैल 2014 सें अब तक जोन–4 के अन्तर्गत लगाये गये पोलो एवं टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 56 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट एवं 84 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	811,139.00	मे0 दादा नगर इले0, मे0 हैलोनिक्स टेक्नो0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0 मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
963	01 अप्रैल 2014 सें अब तक जोन–3 के अन्तर्गत लगाये गये टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 112 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट के क्रय हेतु।	2305002	979,283.20	मे0 दादा नगर इले0,	पढ़ा गया/स्वीकृत
964	01 अप्रैल 2014 सें अब तक जोन–3 के अन्तर्गत लगाये गये टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 112 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट के क्रय हेतु।	2305002	979,283.20	मे0 दादा नगर इले0,	पढ़ा गया/स्वीकृत
965	वार्ड–36 के अन्तर्गत कर्रही से हमीरपुर रोड को जोड़ने वाली सड़क और जरौली कर्रही मार्ग से हमीरपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 190 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	727,196.50	मे0 हैलोनिक्स टेक्नो0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0 मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
966	वार्ड–58 बसन्त विहार के अन्तर्गत समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 135 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	516,692.25	मे0 हैलोनिक्स टेक्नो0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0 मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
967	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–2, 3 एवं 5 हेतु 350 नग डी0पी0 स्विच 63 एम्पी0 क्रय हेतु।	2305002	975,800.00	मे0 राजकल मार्केटिंग	पढ़ा गया/स्वीकृत
968	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–1 से 6 तक हेतु 300 नग टी0पी0एन0 स्विच 63 एम्पी0 क्रय हेतु।	2305002	978,000.00	मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
969	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–1, 2, 3 एवं 5 हेतु 804 नग डी0पी0 स्विच 32 एम्पी0 क्रय हेतु।	2305002	913,344.00	मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
970	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–4 एवं 6 हेतु 798 नग डी0पी0 स्विच 32 एम्पी0 क्रय हेतु।	2305002	906,528.00	मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया/स्वीकृत

ह0.....महापौर

971	जोन–1, 2, 4, 5 एवं 6 के अन्तर्गत विभिन्न चौराहो पर 28 नग स्थापित टावर पोल पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 112 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट के क्रय हेतु।	2305002	979,283.20	मे0 दादा नगर इले0,	पढ़ा गया/स्वीकृत
972	जोन–3 के अन्तर्गत विभिन्न चौराहो पर 28 नग स्थापित टावर पोल पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 112 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट के क्रय हेतु।	2305002	979,283.20	मे0 दादा नगर इले0,	पढ़ा गया/स्वीकृत
973	जोन–5 के अन्तर्गत विभिन्न चौराहो पर 28 नग स्थापित टावर पोल पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 112 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट के क्रय हेतु।	2305002	979,283.20	मे0 दादा नगर इले0,	पढ़ा गया/स्वीकृत
974	जोन–5 के अन्तर्गत 15 गरीब बस्तियो मे से 04 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 252 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 252 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	852,768.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
975	जोन–2 के अन्तर्गत 16 गरीब बस्तियो मे से 09 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 232 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 232 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	785,088.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
976	जोन–6 के अन्तर्गत 18 गरीब बस्तियो मे से 04 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 291 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 291 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	984,744.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
977	जोन–2 के अन्तर्गत 16 गरीब बस्तियो मे से 07 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 257 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 257 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	869,688.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
978	जोन–6 के अन्तर्गत 18 गरीब बस्तियो मे से 04 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 291 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 291 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	984,744.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
979	जोन–6 के अन्तर्गत 18 गरीब बस्तियो मे से 04 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 289 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 289 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	977,976.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
980	जोन–1 के अन्तर्गत 59 गरीब बस्तियो मे से 28 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 290 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 290 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	981,360.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
981	जोन–6 के अन्तर्गत 18 गरीब बस्तियो मे से 03 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 284 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 284 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	961,056.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत

ह0.....महापौर

982	जोन–1 के अन्तर्गत 59 गरीब बस्तियो मे से 26 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 287 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 287 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	971,208.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
983	जोन–3 के अन्तर्गत 13 गरीब बस्तियो मे से 06 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 260 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 260 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	879,840.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
984	प्रायः नागरिको की मॉग पर नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त के द्वारा तत्काल प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के निर्देश पर सोडियम फिटिंग उपलब्ध कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 200 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 200 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	676,800.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
985	01 अप्रैल 2014 सें अब तक जोन–1 के अन्तर्गत लगाये गये टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 88 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट के क्रय हेतु।	2305002	769,436.80	मे0 दादा नगर इले0,	पढ़ा गया/स्वीकृत
986	जोन–3 के अन्तर्गत 13 गरीब बस्तियो मे से 07 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 252 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 252 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	852,768.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
987	01 अप्रैल 2014 सें अब तक जोन–5 के अन्तर्गत लगाये गये पोलो एवं टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 52 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट एवं 29 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	565,660.35	मे0 दादा नगर इले0, मे0 हैलोनिक्स टेक्नो0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0 मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
988	शहर के विभिन्न चौराहो एवं तिराहो पर मन्दिरो एवं मस्जिदो के आस–पास समुचित प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 128 नग फ्लड लाइट फिटिंग 1×400 वाट एवं 128 नग सोडियम लैम्प 400 वाट के क्रय हेतु।	2305002	590,246.40	मे0 राजकमल मार्केटिंग, मे0 दादा नगर इले0,	पढ़ा गया/स्वीकृत
989	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–1, 4 एवं 6 हेतु 350 नग डी0पी0 स्विच 63 एम्पी0 क्रय हेतु।	2305002	975,800.00	मे0 राजकल मार्केटिंग	पढ़ा गया/स्वीकृत
990	शहर के विभिन्न चौराहो पर स्थापित 25 नग टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 100 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट के क्रय हेतु।	2305002	874,360.00	मे0 दादा नगर इले0,	पढ़ा गया/स्वीकृत
991	किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न चौराहो पर स्थापित 20 नग टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 80 नग फ्लड लाइट फिटिंग 2×400 वाट के क्रय हेतु।	2305002	699,488.00	मे0 दादा नगर इले0,	पढ़ा गया/स्वीकृत

ह0.....महापौर

992	जोन–5 के अन्तर्गत 15 गरीब बस्तियो मे से 11 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 284 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 284 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	961,056.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
993	जोन–6 के अन्तर्गत 18 गरीब बस्तियो मे से 03 गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 265 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं 265 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	896,760.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
994	जोन–1, 2, 3 व 5 के अन्तर्गत गरीब बस्तियो मे स्विच लाइन डालकर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 165 क्वॉयल 10 एम0एम0 ट्विन एल्युमिनियम सीथेड तार के क्रय हेतु।	2305002	627,825.00	मे0 जे0डी0 इलेक्ट्रिक कम्पनी	पढ़ा गया/स्वीकृत
995	जोन–4 व 6 के अन्तर्गत गरीब बस्तियो मे स्विच लाइन डालकर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 256 क्वॉयल 10 एम0एम0 ट्विन एल्युमिनियम सीथेड तार के क्रय हेतु।	2305002	974,080.00	मे0 जे0डी0 इलेक्ट्रिक कम्पनी	पढ़ा गया/स्वीकृत
996	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–1, 2 एवं 3 हेतु 1500 नग सी0एफ0एल0 85 वाट के क्रय हेतु।	2305002	940,500.00	मे0 जे0डी0 इलेक्ट्रिक कम्पनी	पढ़ा गया/स्वीकृत
997	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–1, 2 एवं 3 हेतु 1000 नग सोडियम चोक 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	890,000.00	मे0 डी–कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा0लि0	पढ़ा गया/स्वीकृत
998	जोन–1 से 5 के अन्तर्गत गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 2230 नग जी0आई0 पाइप एवं 4460 नग एच0टी0 क्लैम्प के क्रय हेतु।	2305002	988,670.50	मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया/स्वीकृत
999	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन–1, 2 एवं 3 हेतु 3000 नग सोडियम लैम्प 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	927,000.00	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया/स्वीकृत
1000	01 अप्रैल 2014 सें अब तक जोन–6 के अन्तर्गत लगाये गये पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 261 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट के क्रय हेतु।	2305002	998,938.35	मे0 हैलोनिक्स टेक्नो0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया/स्वीकृत
1001	जोन–6 के अन्तर्गत गरीब बस्तियो मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 1461 नग जी0आई0 पाइप एवं 2922 नग एच0टी0 क्लैम्प के क्रय हेतु।	2305002	647,734.35	मे0 आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया/स्वीकृत

ह0.....महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–1002</u> नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 471/एमडी/2014–15 दि0 11.03.15 के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्ताव।

चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कोपरगंज को पी0पी0पी0 माडल के माध्यम से संचालित करने के लिये मा0 कार्यकारिणी समिति की आहूत बैठक दिनांक 06.06.14 में प्रस्ताव सं0 534 पर मा0 समिति ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अवस्थापना विकास अनुभाग के शासनादेश संख्याः 947/83–अव–12–91 (अव)/12 दिनांक 19 अक्टूबर,2012 के द्वारा पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत संचालित किये जाने के पूर्व मैनुअल ऑफ पॉलसीज एण्ड प्रोसिजर ऑफ इम्प्लाइमेन्ट आफ कन्सल्टेट्रेस को अंगीकृत किया जाना आवश्यक है जिससे शासन की नोडल एजेन्सी पिकप विभाग से अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। दिशा निर्देश लागू करने हेतु अपने–अपने बोर्ड/ सक्षम अधिकारी के स्तर पर विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकते है।

चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कोपरगंज को पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत संचालित करने के लिये सलाहकार की नियुक्ति किंये जाने के पूर्व मैनुअल ऑफ पॉलसीज एण्ड प्रोसिजर आ फ इम्प्लाइमेन्ट आफ कन्सल्टेट्रेस को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृत प्रदान करते हुये उ0प्र0 शासन को तद्नुसार अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–1003</u> मा. कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2014 के प्रस्ताव संख्या–554 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ग्लोबल वेन्चर्स प्रा. लि. (अक्षय जल) द्वारा इन्दिरा नगर में 1500 ली. प्रति घन्टा क्षमता के वाटर फिल्टर प्लान्ट का संचालन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से क्षेत्रीय नागरिकों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति रू.5.00 प्रति 20 लीटर की दर से की जा रही है। इन्दिरा नगर के समीप स्थित मलिन बस्तियों में शुद्ध जल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 20 लीटर क्षमता के 2000 कन्टेनर्स की मांग श्री ग्लोबल वेन्चर्स प्रा. लि. (अक्षय जल) द्वारा नगर निगम से की गयी है, जिस पर प्रति कन्टेनर रू. 250.00 की दर से कुल रू. 5,00,000.00 (रूपया पाँच लाख मात्र) का व्यय होना है, जिसकी अनुमति/स्वीकृति मा. कार्यकारणी समिति से प्राप्त की जानी है।

निर्णय– दिनांक 30.08.2014– को निर्णय लिया गया कि भा.ज.पा., कांग्रेस व सपा पार्षद दल के एक–एक सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कमेटी गठित की जायें, जो अपना सुझाव अगली कार्यकारणी के पूर्व सभापति के समक्ष प्रस्तुत करेगी, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सभापति के विवेक पर ही एक सदस्य उप कमेटी में सम्मिलित किया जायेगा।

निर्णय पर कार्यवाहीः– मा.कार्यकारणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नानुसार कमेटी गठित की गयी :–

1. श्री कमल शुक्ल बेबी — मा. पार्षद, कांग्रेस
2. श्री सतेन्द्र कुमार मिश्रा — मा. पार्षद, भा.ज.पा.
3. श्री सुहैल अहमद — मा. पार्षद, सपा
4. श्री मनीष शर्मा — मा. पार्षद

समिति के समक्ष दिनांक 04.02.2015 को सन्दर्भित प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री ग्लोबल वेन्चर्स प्रा. लि. (अक्षय जल) द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। गठित समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने सुझावों से मा. महापौर जी को अवगत कराया गया, जिसकी प्रति साथ में संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संख्या–554 दिनांक 30.08.2014 के क्रम में कृत कार्यवाही एवं निर्णय हेतु मा. कार्यकारणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

ह0.....महापौर

ek- dk;Zdkfj.kh lfefr dh cSBd fnukad 30-08-2014 ds iLrko l[;k%&554 ds vuqØe esa xfBr lfefr ¼v{k; tSu lfefr½ ds le{k fnukad 04-02-2015 dks lEiUu gqbZ cSBd dk dk;ZoRrA

mifLFkfr%&

1-Jh dey 'kqDyk cCcw] ek- ik"kZn
2-Jh lrsUnz feJk] ek- ik"kZn
3-Jh lqgSy vgen] ek- ik"kZn
4-Jh euh"k 'kekZ ek- ik"kZn
5-Jh jkecyh iky] lfpo uxj fuxe
6-Jh fj"kHk lDlsuk] ifrfuf/k v{k; tSu

cSBd esa dkuiqj uxj dh efyu rFkk ?kuh cfLr;ksa esa 'kq) is; ty miyC/k djk;s tkus ds lEcU/k esa Xykscy oSUplZ ik-fy- ¼v{k; tSu½ }kjk iLrqrhdj.k fd;k x;k rFkk crk;k x;k fd bfUnjk uxj esa iwoZ ls gh 1500 yhVj ifr ?kaVk {kerk dk okVj fQYVj IykUV lapkfyr gS] ftlesa 20 yhVj ds dUVsulZ ds ek/;e ls 'kq) is; ty dh vkiwfrZ lLFkk }kjk :- 5-00 ifr dUVsuj dh nj ls dh tk jgh gSA lkFk gh ;g Hkh voxr djk;k x;k fd bfUnjk uxj ds lehi fLFkr lh-Vh-,l- dkyksuh ,oa vU; cfLr;ksa esa 'kq) is; ty dh miyC/krk de gksus ds dkj.k bu cfLr;ksa esa is; ty dh vkiwfrZ dUVsuj ds ek/;e ls dh tk ldrh gSA 'kq) is; ty miyC/k djk;s ds nf"Vxr mDr cfLr;ksa esa yxHkx 2000 dUVsulZ dh vko';drk gksxh] ftldh vuqekfur ykxr :- 250 ifr dUVsuj dh nj ls dqy :- 5]00]000-00 gSA uxj fuxe }kjk 2000 dUVsulZ Ø; dj lLFkk dks miyC/k djk;s tkus gsrq lLFkk }kjk vuqjks/k fd;k x;k rkfd dUVsulZ dks mDr cfLr;ksa esa forfjr dj mDr nj ij 'kq) is; ty miyC?k djk;k tk ldsA

v{k; tSu ds ifrfuf/k }kjk fd;s x;s mDr iLrqrhdj.k dh ljkguk djrs gq, lfefr ds lnL;ksa }kjk dUVsulZ 'kh?kzfr'kh?kz miyC/k djk;s tkus dh lgefr inku dh x;h rkfd uxj fuxe lLFkk }kjk fd;s tk jgs lkekftd dk;Z esa lgHkkxh cu ldsA lfefr }kjk ;g Hkh iLrko j[kk x;k fd dkuiqj 'kgj esa ftu LFkkuksa] fo"k'kr% Lo:i uxj] dk'kyiqjh] n'kuiqjok] ipckx] gkjkeu iqjok] nknkfe;kW pkjkgk] jfonkliqje] tkteÅ] xqtSuh vkfn] ij is; ty dh leL;k gS] ogkW ij Hkh ,lh ifj;kstukvksa dks lapkfyr dj 'kq) is; ty dUVsulZ ds ek/;e ls miyC/k djk;k tk;s] lkFk gh ;g Hkh iLrkfor fd;k x;k fd uxj fuxe }kjk vk;kftr vFkok uxj fuxe ds ek- ik"kZnx.kksa o vf/kdkfj;ksa }kjk vk;kftr lekjksg esa lLFkk }kjk is; ty dh vkiwfrZ fu/kkZfjr 'kqYd ij miyC?k djk;h tk;sxhA

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि कानपुर नगर निगम में जलकल विभाग जैसी संस्था है, जिसके द्वारा जलापूर्ति पूरे शहर में करायी जाती है, तो मेरे समझ से प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लिया जाये, क्योंकि रू0 05.00 लाख नगर निगम द्वारा प्रश्नगत संस्था को दिया जाना है।

ह0.....महापौर

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि जलकल विभाग जब अपने खराब हैण्डपम्पों को दोबारा ठीक नही करा सकता है तथा नगर निगम द्वारा सीवर एवं जलापूर्ति लाईनों के डालने हेतु दी गई धनराशि से अभी तक कार्य नही करा पाया। इसलिये कानपुर नगर के नागरिकों को शुद्ध पानी पीने के लिये उपलब्ध कराये जाने हेतु इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना अनिवार्य है।

सभापति ने स्पष्ट किया कि प्रश्नगत संस्था को जमीन दी जा रही है और कन्टेनरों हेतु यह धनराशि दिया जाना प्रस्तावित है। चूँकि जलकल विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन नही कर पा रहा है अतः महानगर के नागरिकों को शुद्ध जलापूर्ति उपलब्ध कराना नगर निगम का दायित्व बनता है।

---------- Lohdfr inku dh xbA

प्रस्ताव संख्या–1004 श्री हाजी सुहैल अहमद , पार्षद/उप सभापति द्वारा प्रस्तुत एंव 05 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर

विचार करनाः–

विषयः– कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले लगी 50,000 भवनों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र स्पष्ट न होने के कारण गृहकर की परिधि में न होने की वजह से करोड़ो रूपये के राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में.

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम की सीमा में आने वाले अनेक क्षेत्रो में गृहकर की वसूली न होने के कारण प्रतिवर्ष करोड़ो रूपये की हानि हो रही है नगर निगम के द्वारा यह कहा जाता है कि यह भवनों का स्वामित्व का प्रमाण स्पष्ट नही है। वही प्रतिवर्ष कानपुर नगर में हजारो नये भवन अस्तिव में आ रहे है। नगर में सैकड़ो बीधा खेती योग्य भूमि आवासीय रूप लेती जा रही है। नगर में सैकड़ो मलिन बस्तियां वजूद में आ चुकी है। उक्त समस्त बस्तियों व भवनों के निवासी नगर निगम की प्रदत्त समस्त सुविपधाओं का पूर्णतया लाभ उठा रहे है। वही इन बस्तियों व आराजी भूमि का स्वामित्व का प्रमाण स्पष्ट न होने के कारण व नगर निगम कर्मियों की मिली भगत के कारण प्रत्येक वर्ष करोड़ो रूपये के राजस्व की हानि हो रही है।यदि उक्त भवनों व मलिन बस्तियों को कर के आरोपण में सम्मिलित कर लिया जाये तो प्रत्येक वर्ष नगर निगम कानपुर के अनेक हिस्से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते है वही इन क्षेत्रों की जनता अपने भवनों का कर या निगम द्वारा निर्धारित कोई अन्य कर दिये जाने को तैयार है वही उ0प्र0शासन की मंशा है कि '' कोई भी भवन या भूमि जो कि नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत आती है वहां के भवन व भूमि शत–प्रतिशत कर से अच्छादित करने हेतु अभियान चालया जाये किन्तु आज भी कानपुर नगर के अनेको क्षेत्रो में स्थित बस्तियों व आराजी के भवन व प्लाट किसी भी प्रकार के कर से वंचित है। जो कि खुले रूप से राजस्व हानि का गंम्भीर प्रकरण है। जबकि नगर निगम के द्वारा गृहकर के मद में दी गई रसीद किसी के भवन व भूमि के स्वामित्व का प्रमाण नही है। उक्त बस्तियों व भवन/भूमि के निवासी नगर निगम की समस्त सुविधाओं का लाभ उठा रहे है उन बस्तियों व भवनों से निकलने वाले समस्त प्रदूषण कारक चीजो '' चाहे वह कूड़ा हो या गन्दा पानी इत्यादि इनके समस्त निस्तारण का भी दायित्व नगर निगम का है तथा निगम द्वारा कार्य किया भी जा रहा है।

अतः आपसे मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से अनुरोध है कि मा0 कार्यकारिणी के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये या नियम बनाने के अधिकार के अन्तर्गत ऐसा नियम बनया जाये कि वर्षो से हो रहे करोड़ो के राजस्व की हानि को बचाया जा सके। क्योकि निःसन्देह राजस्व हानि का मुद्दा एक गम्भीर विषय है। मुद्दे की गम्भीरता को देखते हुये उक्त प्रकरण में मा0 कार्यकारिणी को इस सम्बन्ध में तत्काल निर्णय की अति आवश्यकता है। यदि नगर निगम उक्त छूटे भवनों/बस्तियों/भूमि या खुले प्लाटों को कर के दायरे मे ले आता है तो निःसन्देह हम नगर के अनेक क्षेत्र जो कि जनसुविधाओं से वंचित है उनको हम और भी बेहतर सुविधायें दे सकेगें।

ह0.....महापौर

नगर आयुक्त ने कहा कि गंगा किनारे अनेक अवैध बस्तियाँ बस गई है जाजमऊ में अनेक टेनरियाँ भी अवैध रूप से संचालित है।

सभापति ने कहा कि मेरे विचार से अवैध बस्तियों को गृहकर के दायरे में लाने से नया विवाद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि नगर निगम गृहकर की जमा रसीद दिखाकर कोई भी व्यक्ति स्थल पर अपने स्वामित्व की माँग करेगा। उ0प्र0 शासन द्वारा बस्तियों के नियमितिकरण पर विचार किया जा रहा है। अतः उपयुक्त होगा कि कालान्तर में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

.... निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही करायी जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–1005</u> श्री हाजी सुहैल अहमद , पार्षद/उप सभापति द्वारा प्रस्तुत एंव 04 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रत्येक पार्षद के वार्ड क्षेत्र में एक करोड़ रूपये के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि सामान्यतः देखा गया है कि नगर निगम के कार्यो में काफी असमानता है कुछ वार्डो में कार्य करा दिये गये है तथा कुछ वार्डो के पार्षद काम के लिये संघर्ष करते रहते है। वही कुछ पार्षद मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से व कुछ अधिकारियो या मा0 महापौर के माध्यम से अपने–अपने क्षेत्रो मे अबाध रूप से कार्य करा रहे है वही काफी पार्षदगण उपेक्षित घूम रहे है। उनके क्षेत्रो में विकास कार्य न के बराबर हो रहे है।

अतः मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि जनहित में कार्यो में समानता व एकरूपता लाने के लिये प्रत्येक पार्षद के वार्डो में वर्ष 2015–16 के लिये एक करोड़ रूपये के विकास कार्य नगर निगम निधि से कराये जाने का आदेश
पारित करें।

मुख्य अभियन्ता ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में लगभग साढ़े चार अरब रूपये की धनराशि के विकास कार्य विभिन्न क्षेत्रों में कराये गये/जा रहे है। इन कार्यो को नगर निगम निधि, राज्य वित्त आयोग, अवस्थापना निधि तथा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। नगर निगम निधि में धनराशि की अनुपलब्धता पर नगर निगम आन्तरिक व्यवस्था के तहत कार्यो को राज्य वित्त आयोग से भी प्रस्तावित किया गया है। राज्य वित्त आयोग की धनराशि निर्गत करने में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये है कि सर्वप्रथम कर्मचारियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान करने के पश्चात् अवशेष धनराशि से विकास कार्य कराये जाये तद्नुसार ही विकास कार्यो की प्रस्तावना तैयार की गई है। राज्य वित्त आयोग की धनराशि से शहर की बड़ी–बड़ी सड़कों के निर्माण प्रस्तावित किये गये है, जिससे यह धनराशि उस वार्ड में जुड़कर भी अत्यधिक प्रदर्शित हो रही है।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि राज्य वित्त आयोग में वर्तमान में रू0 160.00 लाख अवशेष है।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि किसी पार्षद के यहाँ रू0 02.00 करोड़ के कार्य कराये गये है, जबकि किसी पार्षद के यहाँ एक करोड़ के भी नही। अतः अनुरोध है कि समानता के आधार पर क्षेत्रों में कार्य कराये जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि 110 निर्वाचित पार्षद, 10 नामित पार्षद एवं 11 पदेन सदस्य को ध्यान रखते हुये नगर निगम द्वारा कार्य कराये जाये।

ह0.....महापौर

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 विधायकों द्वारा विधायक निधि नगर निगम को नही अंतरित की जाती तथापि उनके निर्देशानुसार समय–समय पर कार्य कराने पड़ते है। अवथापना निधि एवं तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यो की प्राथमिकता मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है और तद्नुसार ही कार्य विभिन्न क्षेत्रों में कराये जाते है।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि मा0 विधायकों द्वारा अपनी निधि नही दी जाती परन्तु अपना प्रभाव दर्शाकर नगर निगम से मनचाहे स्थलों पर कार्य कराया जाता है। अतः इस पर भी नीति निर्धारित कर ली जानी चाहिये कि निर्वाचित पार्षदों के ही कार्य कराये जाये या अन्य नामित व पदेन सदस्यों के भी कार्य कराये जाये।

सभापति ने स्पष्ट किया कि मेरी कार्य शैली निःस्वार्थ भाव से कार्य करने की है और तद्नुसार ही जो पार्षद मेरे समक्ष पत्र प्रस्तुत करता है उस पर आदेश भी कार्यवाही हेतु पारित किये जाते है। प्रारम्भ में जब पार्षदों द्वारा रू0 20–20 लाख के कार्य कराये जाने की माँग की जा रही थी उसी वित्तीय वर्ष के अन्त में 25–25 लाख की धनराशि से भी ज्यादा के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में कराये गये। पुनः: स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शहर के पॉश एवं विकसित इलाकों की अपेक्षा दक्षिणी क्षेत्र एवं अविकसित वार्डो में आवश्यकतानुसार कार्य कराये जाते है। जिससे कार्यो में समानता आ ही नही सकती। नगर निगम द्वारा 07 विधानसभा क्षेत्रों में समानता के आधार पर कार्य कराये जाये, इसमें क्षेत्र की आवश्यकता को भी दृष्टिगत रखा जाये। उत्तर प्रदेश शासन की प्राविधानित व्यवस्था के तहत पदेन सदस्यों को नगर निगम सदन में इसलिये सदस्यता प्रदान की गई है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार में नगर निगम के असम्भव कार्यो को उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाने हेतु नगर निगम का प्रतिनिधित्व करते हुये विकास कार्यो हेतु धनराशि उपलब्ध करायेंगे। मनोनीत पार्षदों के पत्रों पर कार्यो को कराने की अनिवार्यता नही थी परन्तु नगर निगम द्वारा वर्तमान में इनके पत्रों पर भी कार्य कराये जा रहे है। नाला सफाई एवं शहर की सफाई के दृष्टिगत तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनेक मशीनी उपकरण नगर निगम द्वारा खरीदे जा चुके है, जिसमें कवर्ड नाला सफाई हेतु सुपर सकर भी खरीदी जा चुकी है, जिससे वर्ष पर्यन्त नाला सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा स्वयं कराया जायेगा। अन्य आइडियल मशीनी उपकरण क्रय करने हेतु तेरहवें वित्त आयोग में प्रस्तावना तैयार की जाये, जिससे प्रत्येक जोन में सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध रहे और आवश्यकतानुसार उनका क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके। अवस्थापना निधि और तेरहवें वित्त आयोग के कार्यो को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका मैं भी सदस्य हूँ, परन्तु इसमें यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भविष्य में अवस्थापना निधि और तेरहवें वित्त आयोग के कार्यो की प्रस्तावना में यदि नगर निगम की सहमति नही ली गई तो मैं प्रस्ताव हस्ताक्षरित नही करूँगा।

.... क्षेत्र में कार्य की आवश्यकता/समानता के आधार पर कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–1006 श्री हाजी सुहैल अहमद , पार्षद/उप सभापति द्वारा प्रस्तुत एंव 04 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर

विचार करनाः–

विषयः– उत्तर प्रदेश नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारबार (विनियमन एवं प्रबंधन) नियमावली 2007 के अन्तर्गत आज तक नगर व वार्ड स्तर पर समिति का गठन न किये जाने के तथा क्षेत्रीय पार्षदो को उपेक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

ह0.....महापौर

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारबार (विनियमन एवं प्रबंधन) नियमावली 2007 के अन्तर्गत आज तक नगर व वार्ड स्तर पर समिति का गठन नही हो सका है (विधिवत रूप से) लेकिन सामान्य रूप से यह देखा जा रहा है कि बिना फेरी समिति के गठन के बाजारो व क्षेत्रो में फेरी नीति के फार्म बाटें जा रहे है व स्थलों का चिन्हॉकन किया जा रहा है। पूर्व में जो व्यापारी या फुटकर /पटरी दुकानदार उन स्थलों पर दुकाने लगा रहे हे वही दुकानदार व्यापारी फजी वेन्डर्स एसोसियेशन फर्जी व्यापारी नेता और दलालों केकारण रोजी –रोटी छीनने के कगार पर है। नगर व वार्ड स्तर पर फेरी समिति के गठन में अधिनियम ने यह व्यवस्था दी है कि नगर फेरी समिति के अध्यक्ष माननीय महापौर होते है व वार्ड फेरी समिति के अध्यक्ष मा0 पार्षद होते है किन्तु आज तक फेरी समिति का विधिवत् गठन नही करके बल्कि फर्जी वेन्डर्स एसोसियेशन व व्यापार मण्डलों तथा दलालों के माध्यम से एक्ट का उल्लधंन करके गरीब व फुटकर पटरी दुकानदारों के शोषण करने का कार्य किया जा रहा है। फर्जी रूपये पैसा लेकर फार्म बाटें जा रहे है वहीं क्षेत्रीय पार्षदो को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप का भी अधिकार नही है। खुले रूप से लूट की जा रही है। नगर निगम एक्ट की खुले रूप से अवहेलना की जा रही है। वही विधिवत् रूप से फेरी नीति का संचालन न होने से प्रतिवर्ष करोड़ो रूपये के राजस्व की हानि हो रही है। यदि उक्त फेरी समिति को व्यवस्थित रूप से लागू कर दिया जाये तो नगर में अव्यवस्थित रूप से फैले हुये बाजार दुरूस्त हो जायेगें। वही नगर व वार्ड स्तर पर फेरी नीति का गठन होना उन फुटकर व पटरी दुकानदारों के लिये अति आवश्यक है ताकि उनके साथ भी अन्याय न हो सके।

अतः आपसे मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से अनुरोध्ण है कि जनहित में अति शीध्र नगर व वार्ड स्तर पर फेरी नीति का विधिवत गठन किये जाने का आदेश पारित करे। ताकि नगर निगम अधिनियम का उल्लघंन न हो सके व गरीब फुटकर दुकानदारों को न्याय मिल सके तथा राजस्व हानि को भी रोका जा सकें।

नगर आयुक्त ने समिति को अवगत कराया कि फेरीनीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में 250 चबूतरें बनाये जा चुके है और मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में टाउन वेडिंग कमेटियाँ गठित की जानी है। अतः समिति से अनुरोध है कि इस परिप्रेक्ष्य में अपने–अपने सुझाव प्रेषित करने का कष्ट करें।

.... मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पार्षदों से सुझाव प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–1007</u> श्री हाजी सुहैल अहमद , पार्षद/उप सभापति द्वारा प्रस्तुत एंव 03 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

विषयः– कानपुर नगर निगम के कार्यकाल का ढाई वर्ष बीतने के उपरान्त भी नगर निगम में विभिन्न समितियों /उप समितियों का गठन न किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के कार्यकाल का लगभग ढाई वर्ष बीत चुका है किन्तु आज तक किसी भी समिति या उप समिति का गठन नही किया गया है। जबकि पूर्व में नगर निगम में अनेको समितियां। या उप समितियां हुआ करती थी । नगर निगम अधिनियम 1959 में अनेकों समितियों के गठन का प्राविधान है अबतक समितियों का गठन न होना नगर निगम अधिनियम 1959 का खुला उल्लघंन है।

अतः मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये तथा नगर निगम हित में नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रविधानित समितियों या उप समितियों के गठन का आदेश पारित करें।

ह0.....महापौर

श्री हाजी सुहैल अहमद ने सभापति से अनुरोध किया कि जोन–4 में जलकल विभाग द्वारा डाली गई सीवर लाईन में अनियमितता की गई है, अतः इसकी जाँच कराई जाये, जिस पर सभापति ने मुख्य अभियन्ता नगर निगम को जाँच करने के निर्देश प्रदान किये।

.... नगर निगम के कार्यो की जाँच हेतु निगरानी समिति गठित करने के लिये नगर आयुक्त को अधिकृत करते हुये विवाद की स्थिति में महापौर/सभापति का निर्णायक मत होने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–1008</u> श्री बीरबल सिंह , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

विषयः– स्वामी अछूतानन्द द्वार की स्वीकृति प्रस्ताव कार्यकारिणी में पास कराने के सम्बन्ध में।

आपको भंली भातिं अवगत करा चुका हूँ कि स्वामी अछूतानन्द जी का द्वार ईदगाह कालोनी में बनाया जाना प्रस्तावित है। कृपया कार्यकारिणी में द्वार का प्रस्ताव पास कराने की कृपा करें। हम एवं स्वामी अछूतानन्द के अनुयायी आपके आभारी रहेगें।

.... निरस्त किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–1009</u> श्रीमती रश्मि शाह , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं 05 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

विषयः– 83/144 प्रहलाद राय मिल से लेकर चॉद बिल्डिंग तक छूटी हुई रोड का निर्माण कार्य के सम्बन्धे में।

विनम्र निवेदन है कि मेरे वार्ड 35 जूही परमपुरवा के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 स्कीम के अन्तर्गत सम्पूर्ण रोड का निर्माण कार्य होना सुनिश्चित हुआ था, जिसमें धर्म कॉटे से प्रहलाद राय मिल तक रोड का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा प्लान्ट द्वारा कराया गया शेष भाग छूटा हुआ पिछले 20 वर्षो से पड़ा हुआ है जिसके कारण जनता में काफी अक्रोश व्याप्त है।

अतः छूटी हुई रोड का निर्माण कार्य अतिशीध्र करवाने की कृपा करें। जो जनहित में है।

.... स्थलीय निरीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–1010</u> श्री सत्येन्द्र मिश्रा उपनेता सदन (पार्षद) , द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

मोतीझील स्थित कारगिल पार्क एक काफी बड़ा पार्क है, जिसका निर्माण कारगिल युद्ध के उपरान्त शहीदों की याद में कराया गया था। उक्त स्थल के आस–पास इतना बड़ा व विकसित कोई पार्क नही है। उक्त पार्क में प्रतिदिन काफी बड़ी संख्या में लोग टहलने व घूमने आते है।

उक्त पार्क कानपुर महानगर में कारगिल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको कारगिल युद्ध में शहीद हुये जवानों की याद में बनाया गया था। अतः मेरा प्रस्ताव है कि उक्त पार्क को शहीदों के बलिदान को दृष्टिगत रखते हुये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाये, जिससे कारगिल में शहीद हुये शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके ।

ह0.....महापौर

उक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि कारगिल पार्क का सौन्दर्यीकरण कराते हुये टूटे झूलों को हटाकर नये झूले लगाये जाये।

.... तद्‌नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–1011 श्री सत्येन्द्र मिश्रा उपनेता सदन (पार्षद) , द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

अमर जवार चौक, मोतीझील में अमर जवान ज्योति प्रज्जवलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अमर जवान चौक में लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा गया है तथा परिसर में विज्ञापन, होर्डिग्स व पोस्टर चिपका दिये जाते है, जिससे अमर जवान चौक (शहीद स्थल) की गरिमा प्रभावित होती है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि अमर जवान चौक, अशोक नगर मोतीझील में अमर जवान ज्योति प्रज्जवलित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वहॉ पर 24 धन्टे सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था की जाये तथा अमर जवान चौक स्थल व उसके आस–पास अतिक्रमण न होने दिया जाये और न ही उक्त स्थल के आस–पास किसी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिग्स व पोस्टर लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये, यदि इसके बाद भी किसी के द्वारा स्थल व उसके आस–पास अतिक्रमण , विज्ञापन, होर्डिग्स व पोस्टर लगाये जाते है तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये जिससे (शहीद स्थल) जो राष्ट्र गौरव से जुड़े हुये है, उनकी गरिमा अक्षुण्य रह सके।

सी0यू0जी0एल0 द्वारा अमर जवान चौराहे पर अमर जवान ज्योति की स्थापना एवं चौराहे के सम्बन्ध में श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि कम्पनी द्वारा आश्वस्त किया गया है कि रू0 17.00 लाख प्रतिवर्ष व्यय करते हुये रख–रखाव हेतु एक माली एवं एक गार्ड भी उनके द्वारा रखा जायेगा। परन्तु इस स्थल पर मार्गप्रकाश में हुये विद्युत व्यय को कौन व्यय करेगा, इस पर भी नीति तय कर ली जाये।

सभापति ने स्पष्ट किया कि जब सी.यू.जी.एल. द्वारा सौन्दर्यीकरण का सहयोग प्रदान किया जा रहा है तो मार्गप्रकाश हेतु व्यय को नगर निगम वहन करे। जिस पर नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृति/सहमति प्रदान की गई।

.... दिनांक 12.01.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या–764 पर निर्णय समाहित है।

प्रस्ताव संख्या–1012 श्री अब्दुल कलाम , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

विषयः– <u>बारातशाला बनवाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव</u>

आपको अवगत कराना है कि जोन–1 वार्ड 50 के अन्तर्गत नगर निगम की खाली जमीन पर जो 105/55 चमनगंज धोसियाना के अन्तर्गत आती है जो म0सं0 245 अंकित है जो माननीय महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है उस पर विचार करके इस कार्य को कराने का कष्ट करें। जो जनहित में आवश्यक है।

.... परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

ह0.....महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–1013</u> श्री आदित्य शुक्ला , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 08 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

विषयः– ग्राम घाउखेड़ा ववार्ड 29 के अन्तर्गत बरातशाला के निर्माण के सम्बन्ध में।
मेरे वार्ड में ग्राम घाउखेड़ा में कोई बरातशाला नही है। कृपया आपसे निवेदन है कि कार्यकारिणी के समक्ष एक बरातशाला के निर्माण करने हेतु संस्तुति प्रदान करने की कृपा करें।
.... परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–1014</u> श्रीमती सरोजनी यादव , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 06 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

विषयः– वार्ड 62 के अन्तर्गत खाली पड़ी जगह में बारातशाला बनाने के सम्बन्ध में।
सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि वार्ड 62 के अन्तर्गत निम्न स्थान खाली है जिस पर बारातशाला का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अतः गरीब व बेसहारा लोगों के लिये क्षेत्र में एक भी बारातशाला नही है कृपया प्रस्ताव को पारित करने का कष्ट करें।
.... परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–1015</u> श्रीमती आशा सिंह , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

विषयः– स्थल परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।
सादर् आपको अवगत कराना है कि वार्ड –81 जरौली में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत गैस एजेन्सी से तोमर पी.सी.ओ तक सड़क, साइट पटरी एवं नाली का सुधार कार्य कराये जाने हेतु पत्रावली स्वीकृत हो चुकी है।
महोदय वर्तमान में इस सड़क का निर्माण के.डी.ए. द्वारा हस्तान्तरण की दी हुई धनराशि से नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। अतः उक्त स्थल के स्थान पर स्थल परिवर्तन करते हुये कर्रही रोड जरौली फेस–1 से हमीरपुर रोड पाल चौराहे खाड़ेपुर तक सड़क, साइट पटरी एवं नाली का सुधार कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
उक्त स्थल परिवर्तन का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।
.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–1016</u> श्रीमती सरोजनी यादव , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 06 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–
विषयः– बर्रा 8 के अन्तर्गत आजाद पार्क मे पिछले 15 वर्षो से सब्जी मण्डी लगी है जिसमें फेरी नीति के तहत चबूतरा बनाने के सम्बन्ध में।

ह0.....महापौर

अवगत कराना चाहती हूँ कि लगभग 15 वर्षो से आजाद पार्क बर्रा –8 में सब्जी मतण्डी लग रही है जिसमें लगभग 200 व्यक्ति ठिलिया व बैठकर सब्जी लगा रहे है। मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ कि जनहित में सब्जी मण्डी को अच्छा स्वरूप प्रदान करने हेतु फेरी नीति के तहत चबूतरा बनाने या पाथवे बनवाने का कष्ट करें जिससे सब्जी मण्डी के साथ साथ मार्निंग वाकर को आसानी से लाभ प्रदान हो सके। कृपया प्रस्ताव को पारित करने का कष्ट करें।

.... मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्णय, जिसमें पार्क में किसी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित है, के आलोक में निरस्त किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–1017</u>श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में शारदा नगर के अन्तर्गत गुरूदेव पैलेस से 09 नं0 क्रासिंग को जाने वाली सड़क के बायीं तरफ सड़क व रेलवे लाइन के मध्य सड़क के फुटपाथ को धेरकर अवैघ रूप से दुकाने व झोपड़ पट्‌टी निर्मित है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि उक्त जगह के अतिक्रमण को हटाकर यदि सम्भव है तो नगर निगम द्वारा मार्केट का निर्माण करा दिया जाये। इस हेतु मेरा प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... जाँच कर कार्यवाही की जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–1018</u> श्री आदर्श दीक्षित , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 06 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को कर से छूट के सम्बन्ध में।

असैनिक पदक जो कि आम नागरिकों को भी दिये जाते है ऐसे पदक जिनमें भारत रत्न, अर्जुन पदक तथा इसी श्रेणी के अन्य राष्ट्रीय पदक जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाते है, को नगर निगम से सम्मान के रूप में कर से छूट प्रदान की जाये। इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया जायें।

.... निर्णय हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–1019</u> श्रीमती रेनू सब्बरवाल , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 06 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

मै कार्यकारिणी सदस्यो से आग्रह करता हूँ कि मेरे इस प्रस्ताव पर चर्चा करवा कर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

1. मोतीझील लान एक, दो, तीन में शादी समारोह आयोजित किये जाते है।
2. मेरा प्रस्ताव है कि पार्षद जो वर्तमान में है इनके पुत्र–पुत्री व परिवार में बहन भाई की शादी होती है और पार्षद अगर बुक कराते है तो पार्षद को पूर्ण रूप से या 50 प्रतिशत छूट अवश्य दी जानी चाहिये क्योकि इन मोतीझील में लान में कई सामाजिक, धार्मिक व समाचार पत्रो व सरकारी आयोजन को पूरी छूट दी जाती है तो वर्तमान पार्षदो को भी छूट दी जाये।

सभापति ने कहा कि मोतीझील लॉन के अन्दर अनेक व्यक्तियों द्वारा वाहन चलाना सीखा जाता है, जिससे लॉन खराब होता है और मॉर्निंग वाकरों को भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः मोतीझील लॉन में रेलिंग लगायी जाये, जिससे लोग लॉन के अन्दर वाहन की ड्राइविंग न कर

ह0.....महापौर

सके। नगर निगम गेस्ट हाउस में बाहरी व्यक्तियों की बुकिंग को भी निरस्त किया जाये, जिससे महापौर की निजिता भंग न हो एवं कार्य में व्यवधान न उत्पन्न हो।

.... प्रस्तावित छूट को अस्वीकृत करते हुये रेलिंग लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–1020 श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषयः– घन्टाघर चौराहे का सुन्दरीकरण एव ंनो टैम्पो जोन बनाने हेतु।

कहॅा जाता है कि फस्ट इम्प्रेशन इज दा लास्ट इम्प्रेशन, हमारे नगर में आने वाले लोगो का मुख्य साधन रेलवे है और इसका प्रमुख स्टेशन कानपुर स्टेशन है जो कि धन्टाधर चौराहे के निकट स्थित है।कोई भी व्यक्ति जब कानपुर आता है तो धन्टाधर चौराहे पर टैम्पो,, अराजकता, अतिक्रमण, लोगो के लड़ाई झगड़ा एवं गन्दगी से रूबरू होता है एवं हमारे नगर की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होता है जिसके कारण बहुत से व्यपारी एवं सभ्य लोग कानपुर आने से कतराते है जिससे व्यापारिक नुकसान भी होता है। उत्तर प्रदेश की औघोगिक राजधानी कानपुर को अव्यवस्था एवं बदहाली के शहर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अतः धन्टाधर चौराहे के पास लगभग सभी मार्गो पर पर्याप्त जगह है जहॉ पर टैम्पो स्टैण्ड बनाया जा सकता है ताकि अपने अपने रूटो का संचालन व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके और इसका सुन्दरीकरण कराया जाये अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाये क्योकि चाय की दुकान एवं फलों की दुकानों में अराजकतत्व खड़े है जिनसे झगड़ा होता है एवं राहगीरो से अभद्रता करते है एवं निकलने वाली मॉ–बहनों से छेड़छाड़ करते है। इन समस्याओं का निस्तारण कराने की कृपा करें।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि सुन्दरीकरण हेतु उक्त चौराहा एक्सिस बैंक को गोद दिया जा रहा है।

.... तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या–1021 श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषयः– कानपुर नगर निगम के स्कूलो में योग को अनिवार्य करने हेतु।

किसी भी देश का भविष्य बच्चों के ऊपर निर्भर होता है क्योकि यही बच्चे आने वाले कल का भविष्य होते है। कहा जाता है '' स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ्य मन होता है'' जिसके कारण बौद्धिक एवं शारीरिक विकास होता है परन्तु आज के बच्चे सही मार्गदर्शन एवं खेलकूद के अभाव से मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्व नही हो पा रहे है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कानपुर नगर निगम के सभी स्कूलों में कम से कम आधा धन्टे का योगा की कक्षा चलाने का आदेश दे जो कि अनिवार्य रूप से चलाई जाये ताकि इनसे प्रेरणा लेकर दूसरे सभी स्कूल योगा कक्षा चलवाना शुरू करें।

.... नगर निगम स्कूलों में योग शिक्षा की कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें अनिवार्यता के स्थान पर स्वेच्छा से अपनाने को प्राथमिकता दी जाये।

ह0.....महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–1022</u> श्रीमती पूनम द्विवेदी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 03 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

सादर अवगत कराना है कि कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम कें कार्यरत (चयनित) संविदा सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़ाकर रू0 14000/– प्रतिमाह कर दिया गया है, जबकि नगर निगम में कार्यरत (अचयनित) संविदा सफाई कर्मचारियों एवं आउटसोर्सिंग से कार्य कर रहे सफाई कमचारियों एवं चतुर्थ कर्मचारियों को पूर्व की भातिं रू0 4000/– प्रतिमाह मिल रहा ह, जो कि बहुत कम है।

अतः (चयनित) संविदा सफाई कर्मचारियों की भातिं नगर निगम कं कार्यरत (अचयनित) संविदा सफाई कर्मचारियों एवं आउटसोर्सिग से कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियेां एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन रू0 14000/– प्रतिमाह किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... नियमानुसार कार्यवाही कराई जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–1023</u> श्री जितेन्द्र सचान, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

सादर अवगत कराना है कि जोन–3 वार्ड– 80 के अन्तर्गत सेक्टर–बी विश्व बैंक स्थित परिषदीय विद्यालय में सैकड़ो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते है। विद्यालय की जर्जर छत एवं जर्जर दीवार होने से विद्यालय के बच्चों को हानि पहुंच सकती है।

सादर निवेदन है कि उपरोक्त विद्यालय की जर्जर हालत को ध्यान में रखते हुये जनहित में मरम्मत एवं नव निर्माण करवाने की कृपा करें।

.... निरस्त किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–1024</u> श्री जितेन्द्र सचान , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

सादर अवगत कराना है कि जोन–3 वार्ड– 80 के अन्तर्गत सेक्टर–सी विश्व बैंक स्थित परिषदीय विद्यालय में सैकड़ो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते है। विद्यालय की जर्जर छत एवं जर्जर दीवार होने से विद्यालय के बच्चों को हानि पहुंच सकती है।

सादर निवेदन है कि उपरोक्त विद्यालय की जर्जर हालत को ध्यान में रखते हुये जनहित में मरम्मत एवं नव निर्माण करवाने की कृपा करें।

.... निरस्त किया गया।

ह0.....महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–1025</u> श्री अतुल त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

इस पत्र द्वारा आपके माध्यम से माननीय सदन के समक्ष कानपुर महानगर की जनता की ज्वलंत समस्या की ओर आकृष्ट कर सदन में चर्चा कराकर समाधान किये जाने का प्रस्ताव आपके समक्ष रख रहा हूॅ।

कानपुर महानगर में शिशु के जन्म लेने पर, मुण्डन, जनेऊ, विवाह, तिलक, तीज त्योहारों पर किन्नरों (मंगलमुखी) द्वारा एकजुट होकर शहरवासियों के निवास पर तथा कार्यक्रम स्थल पर धावा बोलकर दान–दक्षिणा एवं बधाई के नाम पर अनाप–शनाप पैसे की मांग करते है। न देने पर शहरवासियों को भद्दे –2 शब्दों एवं गालियों द्वारा अश्लील इशारो से अपमानित करते है। कई जगह देखने में आया है कि हजारों रूपये की मांग करने वाले यह किन्नर भोले–भाले नागरिकों से मारपीट पर भी आमादा हो जाते है। विरोध करने पर यह अपने और साथियों को बुलाकर बलवा तक कर देते है। इनमें वह किन्नर भी शामिल है जो कृत्रिम रूप से बने हुये किन्नर है।

इस विषम समस्या से निपटने के लिये मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में (पृष्ठ सं0 –221) में नियम –448 के तहत इनको नियंत्रित किया जाये तो निश्चित रूप से शहरवासियों को यह सदन बड़ी राहत पहॅुचाने का कार्य करेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा कराकर नियम–448 लागू करने का प्रस्ताव पास कराने का कष्ट करें। यह कार्य जनहित में होगा।

.... सामाजिक दायित्वों के दृष्टिगत एवं संवैधानिक व्यवस्था के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–1026</u> श्री आलोक दुबे , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 04 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– गर्मी में सड़को पर चलते राहगीरों के लिये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में।

अपना कानपुर नगर जन सेवा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के समस्त शहरों में उत्तम है यदि नगर निगम व जलकल विभाग मिलकर प्रचण्ड गर्मी में राहगीरों के लिये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करा दें यदि इसके लिये शहर की समाजसेवी संस्थाओं व व्यापार मण्डलों से भी सम्पर्क कर सकते है।

अतः जनहित में यथाशीध्र उक्त कार्य कराने की आदेश पारित करें।

.... प्रस्ताव संख्या–1003 में निर्णय समाहित है।

<u>प्रस्ताव संख्या–1027</u> श्री राकेश साहू , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 03 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– शुलभ इण्टरनेशनल संस्था द्वारा शौचालयों में गरीब जनता से मनमानी वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

ह0.....महापौर

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर में शुलभ इण्टरनेशनल संस्था द्वारा गरीब जनता की सुविधा के लिये शुलभ शौचालयों का हमारी जमीनों पर निर्माण कराये गये थे जिसका लाभ गरीब जनता को मिल सके लेकिन अब यह संस्था गरीब जनता से मनमानी पैसे वसूल कर व्यापार कर रही है जिससे लोगों में आक्रोश बना रहता है।

अतः आपसे निवेदन है कि सुलभ इण्टरनेशनल संस्था से रेट तय कराके रेट बोर्ड लगाने के आदेश देने की कृपा करे जिससे गरीब जनता से हो रही मनमानी वसूली से बचाया जा सके।

.... सुलभ शौचालयों में रेट बोर्ड लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–1028</u> – श्री कैलाश नाथ पाण्डेय, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

वार्ड नं0–102 में एक्सप्रेस रोड के किनारे दो पौशाले जो नगर निगम ने निर्मित कराये थे, अब नशेबाजों का अड्डा बन गये है। वहाँ पर लोग अक्सर स्मैक, चरस पीते देखे जा सकते है।

अतः जनहित में मेरा प्रस्ताव है कि उक्त पौशालों को मैं अपने पिता जी की स्मृति में अपने खर्चे पर संचालित करना चाहता हूँ। जिससे इन पौशालों का जनहित में सदुपयोग हो सके। इस हेतु जनहित में मेरा प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–1029</u> – श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी 'धीरू', पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

अवगत कराना चाहता हूँ कि मार्ग प्रकाश विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिस कारण वार्डो में मार्गप्रकाश विभाग अपनी सेवायें सुचारू रूप से नही दे पा रहा है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम से कम एक कर्मचारी प्रत्येक वार्ड में नियुक्त किया जाये। जिससे मार्गप्रकाश व्यवस्था में सुधार आ सके। जनहित में मेरा प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–1030</u> – मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

कृपया वरिष्ठ लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0, इलाहाबाद गत वर्ष एवं विगत वर्षो का बकाया सम्परीक्षा शुल्क रू0–5,28, 25,979.00 दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के व्यय में भी यह व्यवस्था की गई है। अतः आंशिक भुगतान के रूप में रू0 50,00,000.00 (रू0– पचास लाख मात्र) सम्परीक्षा शुल्क स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0, इलाहाबाद को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

.... स्वीकृति प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया।

ह0.....महापौर

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि वर्तमान में लेखा सम्परीक्षण का कार्य मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा पूर्व की भाँति नही किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2008 से ही भुगतान पूर्व समस्त पत्रावलियों का सम्परीक्षण का कार्य मुख्य नगर लेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता रहा है, जिससे भुगतान से पूर्व वित्ती क्षति अथवा विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का सुधार हो जाता था तथा भविष्य में होने वाली बाह्य सम्परीक्षणों यथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एवं महालेखाकार द्वारा की जाने वाली सम्परीक्षा में आपत्तियाँ कम होती है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–4 द्वारा अपने पत्रांक 3825/नौ/4–2011–13 लेखा/2011 दिनांक–27.07.2011 में भी व्यवस्था है कि अपेक्षा किये जाने पर चेक जारी होने से पूर्व अभिलेखा एवं बाउचरों का मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण किया जाये।

नगर आयुक्त/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि भुगतान से पूर्व सम्परीक्षा कर ली जाये तो नगर निगम में वित्तीय क्षति या गम्भीर अनियमितता की सम्भावना बहुत कम रहेगी।

सभापति ने व्यवस्था दी कि लेखा सम्परीक्षण की पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को यथावत् रखा जाये। यदि मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा सम्परीक्षण नही किया जा रहा है तो वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पत्रावलियों का सम्परीक्षण किया जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–1031 – उद्यान अधीक्षक, मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

मोतीझील पार्क स्थित कारगिल पार्क की बाहर पूर्व की दीवार को घुमन्तू आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी, कारगिल पार्क में चित्रकला प्रदर्शनी हेतु निःशुल्क अनुमति चाही गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकृति से सम्बन्धित चित्रकला प्रदर्शनी से पार्क की सौन्दर्यता बढ़ेगी साथ ही बच्चों के बौद्धिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। उक्त के दृष्टिगत संस्था को प्रकृति से सम्बन्धित चित्रकला प्रदर्शनी हेतु निःशुल्क अनुमति दिये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है। प्रकृति से इतर कोई भी चित्रकला जिससे बच्चों के कोपल मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ऐसी चित्रकला के प्रदर्शन की अनुमति प्रतिबन्धित रहेगी। यह अनुमति एक सीमित समय, एक वर्ष अथवा कार्यकारिणी जो निर्धारित करें एवं अस्थाई प्रकृति की होगी।

अतः मोतीझील स्थित कारगिल पार्क की बाहर पूर्व की दीवार में 500मी. क्षेत्र घुमन्तू आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी, कानपुर को प्रकृति से सम्बन्धित चित्रकला प्रदर्शनी की अनुमति हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... प्रस्तावक को बुलाकर उनका मन्तव्य समझकर तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–1032 –

नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 129 (4) के अन्तर्गत नौका बिहार को किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में मा0कार्यकारिणी समिति के समक्षविचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तावः–

–: प्रस्ताव :–

नौका बिहार को किराये पर दिये जाने हेतु दिनॉक–20.07.2013 को निविदा आमॅत्रित की गयी थी परन्तु उक्त तिथि में कोई आफर प्राप्त नही हुआ था। पुनः अपर नगर आयुक्त के आदेश दिनॉक–29.04.2013 के अनुपालन में नौका बिहार किराये पर देने हेतु दिनॉक–17.08.2013 को आफर प्राप्त किये गये जिसमें किसी भी आफरदाता द्वारा निर्धारित दर रूपया–6,00,000/– वार्षिक की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक न दिये जाने के

ह0.....महापौर

कारण निविदा निरस्त कर दी गयी थी। पूर्व नगर आयुक्त के आदेशानुसार दिनॉक–08.10.2013 को आफर आमॅत्रित किये गये जिसमें निर्धारित धनराशि रूपया–6,00,000/– के सापेक्ष रूपया 6,12,500/– मात्र का आफर शर्तो के अनुरूप प्राप्त हुआ था परन्तु तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा दरें कम प्रतीत होने के कारण पुनः टेण्डर किये जाने के आदेश दिनॉक–10.10.2013 को पारित किये गये थे जिसके अनुपालन में दिनॉक–24.10.2014 को आफर आमॅत्रित किये गये थे जिसमें नौका बिहार को एक वर्ष के लिए दिये जाने हेतु रूपया–10,00,000/– वार्षिक निर्धारित किया गया था किन्तु उक्त निविदा के सापेक्ष कोई आफर प्राप्त नही हुआ था।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–129(4) में उल्लेख है कि **नगर आयुक्त (निगम) की किसी चल या अचल सम्पत्ति को निगम की स्वीकृति से पट्टे पर दे सकते है, बेच सकते है, किराये पर उठा सकते है या अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण कर सकते है।**

नौका बिहार को एक वर्ष के लिए रूपया–10,00,000/– की दर से किराये पर निम्न शर्तो के अधीन दिया जा सकता हैः–

शर्तेः–

1–नौका बिहार का न्यूनतम किराया रू0 10,00,000/–प्रतिवर्ष है। प्रारम्भ में इसे एक वर्ष के लिए किराये पर दिया जाएगा तथा वर्षवार कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अगले वर्ष के लिए 25 प्रतिशत धनराशि बढ़ाकर किराये पर आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। आवंटी को अवधि समाप्त होने के कम से कम दो माह पूर्व इस हेतु प्रार्थना पत्र तथा अगले वर्ष के लिए देय धनराशि (उपरोक्तानुसार) का बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट संलग्न करते हुए देना होगा, बिना धनराशि के प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आफरदाता को आफर के साथ अपने आफर की धनराशि का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक के रूप में एक मुश्त जमा करना होगा जो नगर निगम कानपुर के नाम देय होगा साथ ही रू0–1,00,000/– (एक लाख मात्र) का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी कानपुर नगर निगम के नाम बन्धक हो, जमानत के रूप में जमा करना होगा।

2–संचालन अवधि में नौका बिहार झील एवं सम्पूर्ण परिसर की समुचित सफाई व्यवस्था एवं कूडा उठाने का कार्य आफर दाता द्वारा स्वयं अपने संशाधनों से पार्क परिसर से कूडे अडडे तक पहॅचाना होगा।

3–नौका बिहार क्षेत्र में व्यय होने वाली बिजली का सम्पूर्ण भुगतान तथा नौका बिहार क्षेत्र में सम्पूर्ण बिजली व्यवस्था/रखरखाव परिसर में नगर निगम की सम्पत्ति सुरक्षा पर होने वाले अन्य व्यय निविदादाता स्वयं अपने संशाधनों से करेगा ऐसा न करने पर उक्त धनराशि जमानती धनराशि से काटकर भुगतान कर दी जायेगी।

4–आफरदाता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत स्वयं का चरित्र प्रमाणपत्र आफर के साथ सलंग्न करना होगा जो कि छः माह के पूर्व का न हो।

5– पारदर्शिता की दृष्टि से नौका बिहार हेतु शुल्क निर्धारित कर नगर आयुक्त कानपुर से अनुमोदित कराकर मुख्य नोटिस बोर्ड पर जनता के सूचनार्थ आफरदाता द्वारा रखा जायेगा।

6–नौका बिहार क्षेत्र में या नौका बिहार के समय किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व आफरदाता का होगा। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

7–नौका बिहार परिसर में परिवर्तन/परिवर्धन एवं नवीनीकरण स्वीकृति करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर में निहित रहेगा तथा इस पर होने वाला व्ययभार आफरदाता को वहन करना होगा।

8–नौका बिहार में पार्किंग, कैन्टीन का ठेका नगर निगम की सहमति से आफरदाता स्वयं उठायेगा ।

ह0.....महापौर

9–आफरदाता यदि नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे तथा उसके उत्तराधिकारियों से बकाया देये धनराशि वसूल करने के लिए नगर निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

10–नौका बिहार परिसर में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं की बिक्री और सेवन आदि पूर्णतयः वर्जित होगा। रात्रि में किसी भी स्थिति में चौकीदार/सुरक्षा गार्ड के अलावा कोई भी सोने व रहने के लिए अधिकृत न होगा।

11–समय–समय पर नगर निगम प्रशासन द्वारा जनहित को दृष्टिगत रखते हुये अन्य शर्ते भी निश्चित की जा सकती है एवं उल्लेखित शर्तो में परिवर्तन किया जा सकता है जिन्हे आफरदाता मानने के लिए बाध्य होगा। गुण–दोष के आधार पर समय–समय पर पारित आदेश आफरदाता मानने को बाध्य होगा जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।

12–नौका बिहार परिसर में यदि नगर निगम कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो आफरदाता को परिसर निशुल्क उपलब्ध कराना होगा जिसकी पूर्व सूचना नगर निगम द्वारा दी जायेगी।

13–किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

14–अनुबन्ध की तिथि से आफरदाता को नौका बिहार के संचालन का दायित्व प्रभावी होगा।

15–अज्ञात (अन्नोन)तथा अपरिहार्य कारणों (अनएवाईडेवेल रिजन्स) से नगर निगम को संविदा/अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पूर्व निरस्त करने का अधिकार होगा। यह पट्टे की शर्तो का उल्लंघन व दबाव (अनड्यू–इनफ्लूयेन्स) नही माना जायेगा।

16–आफर का निर्णय खण्ड–क व खण्ड–ख में दिये गये आफर व उसके लिऐ दी गयी धनराशि को जोडकर जो वास्तव में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जमा की गयी है के आधार पर (निर्धारित शर्तो के पूर्ण होने पर) लिया जायेगा।

अतएव नौका बिहार को एक वर्ष के लिए रूपया–10,00,000/– की दर से किराये उपरोक्त शर्तो के अधीन दिये जाने हेतु प्रस्ताव मा0कारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ /स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया।

जर्जर/जीर्ण शीर्ण गिराऊ भवनों के सम्बन्ध में नोटिस देने के बाबत नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रकरणों में मेरे अनुमोदन के उपरान्त मुख्य अभियन्ता द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 331(1) के अन्तर्गत नोटिस दी जाती है।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक–25.03.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

.... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक–25.03.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि की गई।

सधन्यवाद् बैठक का समापन हुआ।

ह0. महापौर

(जगतवीर सिंह द्रोण)
महापौर/सभापति

ह0.....महापौर